DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI
Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com
Website : www.dsrdsdelhi.com

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

DSRDS

SHIV KUMAR GARG
President
9212567435

JAGDISH PRASHAD
Sr. Vice President
9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL
Vice-president
9810630323

SHYAM SUNDAR
Vice President
9911178848

SUNIL SHARMA
Vice President
9310023180

MANOJ SHARMA
Vice President
9582203929

SITA RAM
Gen. Secretary
9312238830

RAJNEESH SHARMA
Secretary
9818569678

SAURABH GUPTA
Secretary
9810943745

MATLOOB ALAM
Secretary
9818946781

MANJEET KAUR
Secretary
9210565722

RAHUL AGGARWAL
Cashier
9871420213

SR-44

Ref. : DSRDS-DELHI/2017/NO. ________ *Date :* 10th April-2017
28-07-2017

सेवा में,
श्रीमान अरविन्द केजरीवाल जी, माननीय
माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र - नई दिल्ली एँव मुख्यमन्त्री
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार- दिल्ली

विषय:- दिल्ली में 2274 राशन डीलर्स की विभिन्न समस्याओ के निवारण और मार्जिन-मनी बढ़ाने हेतु

****

महोदय,

निवेदन यह है कि, दिल्ली में राशन डीलर्स की विभिन्न समस्याओ तथा मांगो के सन्दर्भ में, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश(DSRDS -DELHI) ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के सभी विधायको तथा मंत्रियो को लिखित पत्र सभी तथ्यों सहित सितम्बर -2015 में स्पीड पोस्ट से भेज था! लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 18 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो कोई जवाब किसी विधायक की तरफ से और ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से हमें प्राप्त हुआ! हालाँकि इस सन्दर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी से दिनांक 30.05.2015 को और खाद्य मंत्री श्री इमरान हुसैन जी से दिनांक 29.04.2016 तथा 02 .02.2017 को DSRDS के साथ मीटिंग हुईथी ! लेकिन किसी भी मीटिंग का अभी तक कोई भी परिणाम नही मिला है, जबकि श्री अरविन्द केजरीवाल जी ने सन 2012 मे स्वराज पुस्तिका में यह वर्णन किया है कि जब तक सरकार उनका कमीशन नहीं बढ़ायेगी, तब तक उन राशन दुकानदारो से ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते है ? इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित वधवा कमीशन आयोग में भी शपथ पत्र के द्वारा यह कहा है कि जब तक दिल्ली में राशन दुकानदारो को कम से कम 15000/-रूपये मासिक बचत नही होगी तब तक दिल्ली में ना तो राशन की हेरा फेरी खत्म हो सकती ना ही दिल्ली के खाद्य एवम आपूर्ति विभाग का भ्रष्टाचार ! वर्षो से विभागीय आयुक्त द्वारा भी यही आश्वासन दिया जाता है कि राशन डीलर्स का कमीशन बढ़ाने की फाइल अंडर प्रोसेस है.

अतः आप सभी से पुनः अनुरोध है कि DSRDS द्वारा संलग्न पत्र पर गौर फरमाते हुए शीघ्र अति शीघ्र राशन डीलर्स क़ी मार्जिन मनी बढ़ाने हेतु उचित निर्णय लेकर DSRDS को भी अवगत कराने की कृपा करे.

सधन्यवाद

निवेदक
शिव कुमार गर्ग
अध्यक्ष- दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश (DSRDS-DELHI)

अलग मुद्दों पर काम कर रहे हैं। जैसे कोई शिक्षा पर काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य पर काम कर रहा है, कोई जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दे पर काम कर रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक ये पूरी की पूरी राजनैतिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, मतलब निर्णय लेने का अधिकार सीधे-सीधे जनता के हाथ में नहीं आयेगा तब तक न शिक्षा सुधरेगी, न स्वास्थ्य सुधरेगा और न जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दों में सुधार होगा। अगर हमने सारी ताक़त लगा कर मान लीजिए ज़मीन के क़ानून को बदलवा भी दिया, जंगल के क़ानून को बदलवा भी दिया, जल के क़ानून को बदलवा भी दिया, शिक्षा के क़ानून को बदलवा भी दिया तो इसको लागू करना कलक्टर का काम है। वो अगर फिर भी नहीं करेगा और अगर क़ानून की अवहेलना करेगा तो हम उसका क्या कर लेंगे? अक्सर हमारे देश मे ऐसा ही होता आया है—क़ानून बहुत अच्छे-अच्छे बने पर हर क़ानून की अवहेलना की गई। जिन अधिकारियों को इन क़ानूनों को लागू करना है वो फिर भी इन क़ानूनों को अगर लागू नहीं करेंगे तो क्या होगा?

जब तक इन लोगों के ऊपर सीधे-सीधे ग्राम सभा का नियन्त्रण नहीं होगा—कि गाँव की ग्राम सभा में बैठ कर लोग अधिकारियों को तलब कर सकें, अगर वो ठीक से काम नहीं करते तो उनको दण्डित कर सकें, जब तक ये व्यवस्था नहीं आयेगी तब तक न शिक्षा सुधरेगी, न स्वास्थ्य सुधरेगा, न ज़मीन सुधरेगी, न जल सुधरेगा, न जंगल सुधरेगा। इसलिए हमें समझना होगा कि जब तक हम इस जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक सुधार होना मुश्किल है।

व्यक्ति निर्माण और व्यवस्था सुधार :

कुछ लोगों का मानना है कि हमें व्यक्ति निर्माण पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। अगर लोग सुधर गये तो, व्यवस्था अपने आप सुधर जायेगी।

प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान व्यवस्था इतनी दूषित हो गई है—क्या यह व्यवस्था व्यक्ति निर्माण होने देगी? क्या यह व्यवस्था व्यक्ति निर्माण में बाधक नहीं है?

आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वर्तमान व्यवस्था व्यक्ति को अच्छा बनने ही नहीं देती। वह चाह कर भी अच्छा नहीं बन सकता। वर्तमान व्यवस्था सुधार के बिना क्या व्यक्ति निर्माण हो पायेगा?

इसे एक उदाहरण से समझें। राशन और मिट्टी का तेल वितरण करने वालों का कमीशन इतना कम है कि वो बिना चोरी के अपना गुज़ारा कर ही नहीं सकते। मिट्टी तेल के हर एक लीटर पर ७ पैसे कमीशन मिलता है, एक मिट्टी तेल के डीलर का लगभग १० हज़ार लीटर महीने का कोटा होता है। इसका मतलब उसकी महीने की कमाई ७०० रुपये हुई। इन ७०० रुपयों में उसे अपनी दुकान के खर्च निकाल कर अपने परिवार को भी पालना है। जो कि असम्भव है। वो बेचारा चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? दिल्ली में लगभग ४००० राशन वाले हैं। तो एक ही झटके में सरकार ने गलत व्यवस्था कायम करके ४००० लोगों को दूषित कर दिया। तो जब तक सरकार उनका कमीशन नहीं बढ़ायेगी, तब तक उन राशन दुकानदारों से ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो क्या उनका व्यक्ति निर्माण सम्भव है?

आखिर व्यक्ति निर्माण क्यों? और व्यवस्था निर्माण क्यों? अपनी आसक्तियों और विकारों पर नियन्त्रण कर व्यक्ति अन्ततः बुद्धत्व को प्राप्त हो—यह जीवन का लक्ष्य माना गया है। तो व्यक्ति निर्माण तो जीवन और सृष्टि का ध्येय है। अच्छी व्यवस्था, व्यक्ति निर्माण में मदद करती है। बुरी व्यवस्था व्यक्ति निर्माण में बाधा

DELHI SARKARI RATION DEALERS SANGH - DELHI

Shop. No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-35
Website : www.dsrdsdelhi.com E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

SHIV KUMAR GARG
President
9212567435

JAGDISH PRASHAD
Sr. Vice President
9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL
Vice President
9810630323

SHYAM SUNDAR
Vice President
9911178848

SUNIL SHARMA
Vice President
9310023180

MANOJ SHARMA
Vice President
9582203929

SITA RAM
Gen. Secretary
9312238830

RAJNEESH SHARMA
Secretary
9818569678

SAURABH GUPTA
Secretary
9810943745

MATLOOB ALAM
Secretary
9818946781

MANJEET KAUR
Secretary
9210565722

RAHUL AGGAWRAL
Cashier
9871420213

Ref. No. DSRDSDELHI/2017/No. 22 Date 21st MARCH 2017

सेवा में ,
श्रीमान अनिल बैजल जी,
माननीय उपराज्यपाल महोदय,
6,राजनिवास मार्ग,सिविल लाइन
नई दिल्ली-110054

RAJ NIWAS 21/3/17

विषयः-दिल्ली सरकार के खाद्य एवम आपूर्ति विभाग के अंतर्गत कार्यरत 2274 उचित दर दुकानदार/राशन डीलर्स की कमीशन अथवा मार्जिन मनी बढाने हेतु और एक वर्ष की अवधि का बकाया कमीशन दिलाने हेतु तथा सभी राशन दुकानों के मासिक कोटे की मात्रा/आवंटन बराबर [RATIONLIZATION] करने हेतु।

(सहायता कक्ष) 21 MAR 2017 दिल्ली सरकार

श्रीमन जी,

जैसा की आप सभी को मालूम होगा कि,दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून -2013 [NATIONAL FOOD SECURITY ACT - 2013] 1-सितंबर-2013 से लागु हो गया था,जिसके तहत दिल्ली के सभी राशन डीलर्स दिल्ली के लगभग 19 लाख 45 हजार परिवारों के 73 लाख जरुरतमंद लोगो को गेहू 2/-रुपये तथा चावल 3/-रुपये प्रति किलो प्रतिमाह वितरण कर रहे है ! दिल्ली में सभी राशन डीलर्स को पूर्व निर्धारित(जून,1997) कमीशन 35 पैसे प्रति किलो गेहू तथा चावल वितरण करने पर 31अगस्त 2014 तक दिया गया। दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ -दिल्ली (DSRDS -DELHI) के द्वारा तमाम प्रयासों के बाद,दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के दौरान यह कमीशन बढाकर 70 पैसे प्रति किलो । सितंबर 2014 से लागु कर दिया गया। (फोटो कॉपी सलंग्र).

गौरतलब हो,कि दिल्ली में जब NFS ACT -2013 लागु हुआ था,तब भारत सरकार द्वारा राशन डीलर्स के लिए ना तो कोई कमीशन/मार्जिन मनी तय किया गया था और ना ही कमीशन /मार्जिन मनी हेतु कोई नियम बनाये गये थे !

Rcl 21/3/17 D No - 1118 22/3/17

Supply Office (F&S) ... Delhi ... Bhawan ... Delhi

हालांकि NFS ACT -2013 के सेक्शन 22 (डी) में यह जिक्र जरूर था, कि राज्य सरकार,भारत सरकार द्वारा बनाये गए नियम (NORMS)के अनुसार ही राशन डीलर्स के लिए कंमिशन/मार्जिन मनी तय कर सकेंगी! भारत सरकार के गज़ट नोटिफिकेशन संख्या -......दिनांक 17 अगस्त 2015 के अनुसार दिल्ली के राशन डीलर्स के लिए यह कमीशन 70 पैसे प्रति किलो तय कर दिया गया और जब से दिल्ली में NFS ACT -2013 के तहत खाद्यान का आवंटन हुआ है ,तब से सार्जनिक प्रणाली के सभी खर्च जैसे राशन डीलर्स का कमीशन/मार्जिन मनी,राशन दुकान पर राशन पहुँचाने में होने वाले खर्च इत्यादि का 50 % राशि का सहयोग भारत सरकार दिल्ली राज्य को करेगी! (फोटो कॉपी सलंग्र) .

देश की राजधानी दिल्ली में यह कमीशन 70/- पैसे प्रति किलो मिलता है,जबकि झारखण्ड जैसे राज्य में यह कमीशन 1/- रुपया प्रति किलो दिया जाता है ! आप सभी जानते है क़ि झारखण्ड की अपेक्षा मेट्रो सिटी दिल्ली में पारिवारिक तथा राशन दुकान के मासिक खर्च चार गुना अधिक होंगे! हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 37% बढ़ाकर 9724/- से 13350/- रूपये प्रति माह कर दी गयी, जबकि दिल्ली में आज भी काफी राशन दुकानदारो को पूर्व निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 9724/-प्रति माह के बराबर भी कमीशन नहीं मिलता है ! दिल्ली के 2274 राशन डीलर्स की मासिक आय का ब्यौरा,फरवरी -2017 हेतु आवंटित खाद्यान के अनुसार एक तालिका के माध्यम से और दिल्ली में राशन दुकान के मासिक खर्च का ब्यौरा दूसरी तालिका के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा, कि दिल्ली में राशन के दुकानदार किस प्रकार अपना गुजर बसर कर रहे है ! (फोटो कॉपी सलंग्र) इस तरह ,दिल्ली में राशन डीलर्स 3500 /- , 7000 /-,तथा 14000 /-रूपये से भी कम कमीशन पर अपनी राशन दुकान चला रहे है ! जबकि राशन दुकान के खर्च कही अधिक है.

उपरोक्त सभी जानकारी को तथ्यों सहित DSRDS -DELHI द्वारा दिल्ली के सभी 7 सांसदों/सभी 70 विधायको/ दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियो तथा खाध्य एवम आपूर्ति आयुक्त महोदय को लिखित रूप में भारतीय स्पीड पोस्ट से सितम्बर 2015 में भेज़ा था! बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि,दिल्ली के राशन डीलर्स का दुर्भाग्य है, क़ि जवाब में मात्र एक पत्र डॉ.हर्षवर्धन जी ,माँननीय मंत्री, भारत सरकार का मिला था और मेरे मोबाइल पर एक कॉल श्री राजेश गुप्ता जी ,विधायक, वज़ीर पुर दिल्ली से आयी थी,जिसमे दिल्ली के राशन डीलर्स के कमीशन को बढ़ाने की सिफारिश वर्णित/ व्यक्त की गई थी ! इसके अलावा भी DSRDS -DELHI के द्वारा दिल्ली सरकार और विभाग को लिखित व् मौखिख रूप से भी कई बार अवगत कराया गया ,लेकिन सरकार या खाध्य एवम आपूर्ति विभाग की और से कोई ठोस जवाब लिखित में DSRDS -DELHI को नहीं मिला है!

DSRDS -DELHI आप सभी से पुनः अनुरोध करता है कि दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली(PDS) को को दुरुस्त करने हेतु एक विशेष कमेटी का गठन शीघ्रातिशीघ्र करे जिसमे शासन ,प्रशासन के अलावा DSRDS -DELHI के प्रतिनिधि भी शामिल हो। हमारी तीन मुख्य मांग निम्न लिखित है :-

1.दिल्ली में राशन डीलर्स की कमीशन कम से कम **2 रूपये 80** पैसे प्रति किलो कर दिया जाये।

2.दिल्ली में जब से NFS ACT -2013 लागु हुआ है,तब से भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन 70 पैसे प्रति किलो एक वर्ष अवधि का अर्थात 1 सिम्बर 2013 से 31 अगस्त 2014 तक का सभी राशन डीलर्स को दिया जाये

3.दिल्ली के सभी राशन डीलर्स के मासिक कोटे की मात्रा/आवंटन, प्रत्येक विधान सभा में दिल्ली नगर निगम के वार्ड अनुसार बराबर (RATIONLIZATION) कर दी जाये.

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही कर दिल्ली के राशन डीलर्स की भी सुनेंगे,ताकि दिल्ली के सभी राशन डीलर्स पूर्ण ईमानदारी और संम्मान के साथ दिल्ली के जरूरतमंद लोगो की सेवा और वेहतर कर सके।

सधन्यवाद

21/03/2017

शिव कुमार गर्ग
अध्यक्ष - दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ -दिल्ली प्रदेश(DSRDS -DELHI)
मोबाइल नंबर 9212567435 ,8700370981
इ-मेल:-SKG 7435 @GMAIL .COM

Delhi Sachivalaya I.P. Estate, New Delhi-02 RECEIVED

Copy To :- 1. माननीय मुख्य मन्त्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली
2. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली
3. माननीय, खाद्य मन्त्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली
4. आयुक्त महोदय, खाद्य एवम् सम्भरण, विभाग, दिल्ली
5. माननीय लोकसभा सदस्य/सांसद महोदय, दिल्ली
6. माननीय विधायक महोदय, दिल्ली

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
(DISTRIBUTION BRANCH)

No.F.15(11)/CFS(D)/2003/ [illegible] Dated: 17-11-14

ORDER

The Lt. Governor, Delhi is pleased to revise the margin money of Fair Price Shop Dealers on the Specified Food Articles (SFAs) i.e. wheat and rice from the existing Rs.35/- per quintal to Rs.70/- per quintal.

The Government of India has enacted the National Food Security Act, 2013. The same has been implemented in the NCT of Delhi. Under the provisions of NFSA, 2013 there are two categories of ration card holders i.e. AAY Households and Priority Households. They are getting SFAs at highly subsidized rates i.e. wheat @ Rs.2/- per kg. and rice @ Rs.3/- per kg. The expenditure incurred on the payment of margin money for the SFAs issued to AAY and Priority Households(which includes the old BPL,JRC and RCRC ration card holders) will be borne by the Food, Supplies & Consumer Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi under MH-3456-D.1(3)(1) - Streamlining of Public Distribution System with focus upon below poverty line. The revised rate of margin money payable to the FPS Dealers for these categories of households in NCT will be effective from 1st September, 2014.

Consequent upon revision of margin money, the retail price of Above Poverty Line (Stamped) (APL-S) category for wheat are revised from the existing Rs.7.05 per kg. to Rs.7.40 per kg. and for rice from the existing Rs.9.25 per kg. to Rs.9.60 per kg. to the consumers.The revised rates for this category will be effective from 01/12/14.

This issues with the concurrence of Finance (Expenditure-II) Department, Government of NCT of Delhi vide their CD No.000251475 dated 4.8.2014.

This issues with the prior approval of Secretary-cum-Commissioner, F&S.

17/11/14

(AJAY KUMAR GUPTA)
ADDL. COMMISSIONER , F&S

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2015/श्रावण 26, 1937
No. 511] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2015/SHRAVANA 26, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 636(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 22 की उपधारा (4) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम, 2015 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "आधार संख्या" से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को जारी पहचान संख्या अभिप्रेत है;

   (ख) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) अभिप्रेत है;

   (ग) "अभिहित डिपो" से खाद्यान्नों के वितरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, राज्यवार विनिर्दिष्ट डिपो अभिप्रेत है;

   (घ) "हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन सहायता प्राप्त खाद्यान्न को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए व्यक्ति या गृहस्थ अभिप्रेत है;

   (ङ) "उठाई-धराई" से अंतर-राज्यीय संचलन में अंतर्वलित खाद्यान्नों को लादना और उतारना अभिप्रेत है;

   (च) "अंतर-राज्यीय संचलन" से अभिहित डिपो से किसी राज्य के भीतर खाद्यान्नों का संचलन तथा उचित दर दुकानों को उनके द्वार तक इसका परिदान अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत इस प्रक्रिया के सभी प्रक्रम सम्मिलित हैं;

time to time, or any other order issued by the Central Government in this regard, for allocation of foodgrains and delivery upto the fair price shops.

4. Duty of the Central Government.—The Central Government shall allocate foodgrains under Targeted Public Distribution System from Central Pool to the State Governments under the Act and provide for its movement upto designated depots.

5. Duty of the State Governments.—It shall be the duty of the State Government to take delivery of foodgrains under Targeted Public Distribution System from the designated depots, ensure its delivery through their authorised agencies upto the door-step of fair price shops and to ensure its supply to entitled persons and households at prices specified in Schedule I of the Act.

6. Assistance from Central Government.—(1) The Central Government shall assist the State Government to meet the expenditure incurred by it on intra-State movement, handling of foodgrains and margins paid to fair price shop dealers, for distribution of foodgrains allocated for the entitled persons and households.

(2) No such assistance shall be payable in respect of 'tide over allocation'.

7. Norms and pattern of Central assistance.—*(1)* The norms of Central assistance (in • per quintal) to the State Government and Union territory and share of the Central Government (in percentage) shall be limited as under:

Category of States and Union Territories	**Norms of expenditure** (Rate in • per quintal)			**Central share** (in per cent.)
	Intra-State movement and handling	**Fair Price Shop dealers margin**		
		Basic	**Additional margin for sale through point of sale device**	
General	65	70	17	50
Special	100	143	17	75

Explanation- For the purposes of this rule-

(1) "General Category States and Union territories" means the following;

(i) Andhra Pradesh;
(ii) Bihar;
(iii) Chhattisgarh;
(iv) Goa;
(v) Gujarat;
(vi) Haryana;
(vii) Jharkhand:
(viii) Karnataka;
(ix) Kerala;
(x) Madhya Pradesh;
(xi) Maharashtra;
(xii) Odisha;
(xiii) Punjab;
(xiv) Rajasthan;
(xv) Tamil Nadu;
(xvi) Telangana;
(xvii) Uttar Pradesh;
(xviii) West Bengal;
(xix) Chandigarh;
(xx) Dadra and Nagar Haveli;
(xxi) Daman and Diu;
(xxii) Delhi; and
(xxiii) Puducherry.

(2) "Special Category States and Union Territories" means the following-

(i) Arunachal Pradesh;
(ii) Assam;
(iii) Himachal Pradesh;
(iv) Jammu and Kashmir;
(v) Manipur
(vi) Meghalaya;
(vii) Mizoram;
(viii) Nagaland;
(ix) Sikkim;
(x) Tripura;
(xi) Uttarakhand;
(xii) Andaman and Nicobar Islands; and
(xiii) Lakshadweep.

(2) The additional margin provided in sub-rule (1) is towards the cost of purchase, operation and maintenance of the point of sale device, its running expenses and incentive for its use.

(3) The additional margin shall be payable for the fair price shop which has installed a point of sale device and shall be limited to the transactions made through it.

(4) The additional margin shall be released on the basis of a certificate from the State Government, supported by the documents, indicating the following, namely:-

(a) number of fair price shops at which the point of sale devices have been installed and are functional; and

(b) the details of all transactions using the point of sale devices.

(5) The State Government shall furnish the details of all transactions made through the point of sale devices in public domain.

(6) The State Government shall have the flexibility in choosing any of the following models for the installation of point of sale device, namely:-

(a) the State Government may purchase, install and maintain the point of sale device.

(b) the State Government may select a system integrator to purchase, install and maintain the point of sale device;

(c) the fair price shop dealer may purchase, install and maintain the point of sale device.

(7) The State Government shall determine the basis for apportioning the additional margin for sale through point of sale device among different stakeholders, depending upon the model chosen.

(8) The State Government shall have the flexibility to allow differential margins within the State taking into consideration the location of shops and number of ration cards attached to the shops:

Provided that the Central assistance shall be limited to the rates specified in sub-rule (1) of rule 7 or the actual average rates for the State as a whole, at which the expenditure was actually incurred by the State Government, whichever is lower.

(9) For the expenditure on intra-State movement and handling of foodgrains, Central assistance shall be limited to the rates specified in sub-rule (1) of rule 7 or the actual average rates for the State as a whole at which expenditure was incurred by the State Government, whichever is lower.

8. Advance payment of margins to fair price shop dealers.—*(1)* The State Government shall ensure the payment of fair price shop dealers' margin in advance by way of adjusting the same in prices of foodgrains to be paid by fair price shop dealers, or through other appropriate mechanism.

(2) If the price of foodgrains payable by fair price shop dealers in any State or Union territory is lower than the fair price shop dealers' margin, the State Government shall ensure upfront payment of margin, in full, to fair price shop dealers.

9. Effective date of Central assistance.—The Central assistance to the State Government shall be effective from the date of allocation of foodgrains under the Act and shall be only for allocations made for entitled persons and households.

10. Release of Central assistance.—(1) In the first year of the implementation of the Act, seventy five per cent. of the total Central share of expenditure, calculated on the basis of estimated annual allocation of food grains for the entitled persons and households, the norms of expenditure and Central share as mentioned in sub-rule (1) of rule 7 shall be released to the State Government in advance as first instalment, at the beginning of financial year.

(2) The balance twenty five per cent. of the Central assistance shall be released in the following financial year.

(3) The admissibility of total annual Central assistance and its amount shall be calculated out on the basis of,-

(a) the quantity of food grains actually distributed during the financial year under the Act;

(b) actual per quintal rates at which the expenditure was incurred by the State Government or Union territory on intra-State movement and handling of food grains and margins paid to fair price shop dealers, or the norms of expenditure specified in sub-rule (1) of rule (7), whichever is lower; and

(c) norms of Central share specified in sub-rule (1) of rule 7.

(4) After release of first instalment, if any amount is due, it shall be released as the second instalment.

(5) In case of release of excess amount in the first instalment, the same shall be adjusted against due Central assistance for the subsequent financial year.

(6) For release of second instalment, the State Government shall furnish information in the proformas prescribed at Schedule I and Schedule II to these rules.

(7) In subsequent years, Central assistance shall be calculated on the basis of;

(a) estimated annual allocation of food grains for the entitled persons and households to the State;

(b) the actual per quintal rates at which expenditure was incurred by the State Government or Union territory during the previous year on intra-State transportation and handling of food grains and margin paid to the fair shop dealers separately or the norms of expenditure mentioned in sub-rule (1) of rule 7 whichever is lower; and

(c) norms of Central share specified in sub-rule (1) of rule 7.

(8) Seventy five per cent. of the Central assistance estimated under sub-rule (7), shall be released as first instalment in the beginning of the financial year.

(9) The balance twenty five per cent. Central assistance shall be released as second instalment in the next financial year subject to the conditions specified in sub-rules (3) (4) (5) and (6).

11. Release of Central assistance for previous years.—In States and Union territories where implementation of the Act had started in the year(s) before coming into force of these rules, release of due Central assistance for previous years shall be made on the basis of information to be furnished by the States or Union territories, as the case may be, in the proformas prescribed at Schedule I and Schedule II to these rules.

12. Utilisation certificate.—The State Government and Union territory shall submit utilisation certificate in prescribed proforma to the Central Government, as provided under General Financial Rules, 2005.

[No. 15-34/2014-NFSA]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser

TIME BOUND

तत्काल
IMMEDIATE

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 2017/फाल्गुन 13, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 394

No. 85] DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 2017/PHALGUNA 13, 1938 [N.C.T.D. No. 394

भाग—IV

PART—IV

4-1384
21-03-17

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 मार्च, 2017

सं. फा. अति.श्र.आ./श्रम/एमडब्ल्यू/2016/4859.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का XI) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राज्य मंत्रालय के दिनांक 24 अगस्त, 1950 की अधिसूचना सं. 104—जे तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 6 फरवरी, 1967 की अधिसूचना सं. का.आ. 530 तथा इसके लिए अन्य सभी शक्तियां जो उसे समर्थ बनाती हैं और दिनांक 26 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. एफ 12(1)142/11/एम डब्ल्यू/श्रम/2023—2047 के साथ पढ़े जाने वाली, अधिसूचना का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 15 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. 13(16)/एम डब्ल्यू/1/2008/श्रम/1859 द्वारा गठित न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दिनांक 25 फरवरी, 2017 के मंत्री मंडल निर्णय संख्या 2466 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 26 जुलाई, 2011 के पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. एफ 12(1)142/11/एम डब्ल्यू/श्रम/2023—2047 में उल्लिखित सभी अनुसूची रोजगार में उल्लिखित श्रमिक/कर्मचारियों के वर्ग के लिए न्यूनतम वेतन दर संशोधन करते हैं, अर्थात् —

रोजगार की अनुसूची	श्रमिक/कर्मचारियों का संवर्ग	न्यूनतम मजदूरी दर रुपये में	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन
सभी अनुसूची रोजगार	अकुशल	13,350/—	513/—
	अर्धकुशल	14,698/—	565/—
	कुशल	16,182/—	622/—
	लिपिकीय एवं पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग		
	नॉन मैट्रीकूलेट	14,698/—	565/—
	मैट्रीकुलेट परन्तु ग्रेजुएट नहीं	16,182/—	622/—
	ग्रेजुएट और उससे ऊपर	17,604/—	677/—

1238 DG/2017

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि., दिल्ली सरकार C.D.M.S.
पृष्ठांकन सं.प्र.अभि./नि.अनु./ Minimum Wages/.1154 Dated-21/03/17
प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

Copy to CES (M) All
By Email
9/3

DELHI SARKARI RASHAN DEALERS SANGH DELHI

DETAIL OF ZONAL WISE FPS (FAIR PRICE SHOP) ALOCATION OF WHEAT AND RICE

FOR THE MONTH OF FEBRUARY-2017

ZONE NAME	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 0-50 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 50-100 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 100-200 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 200-300 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 300-400 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION ABOVE 400 QUANTAL	TOTAL NUMBER OF FPS's
WEST	18	53	118	82	2	0	273
NORTH WEST	7	25	140	111	31	4	318
NORTH EAST	7	58	172	82	27	0	346
NEW DELHI	21	37	40	26	2	1	127
SOUTH	18	51	135	73	7	0	284
SOUTH WEST	12	47	208	61	4	2	334
EAST	12	48	118	60	2	0	240
CENTRAL	7	25	75	41	6	3	157
NORTH	10	29	90	45	14	7	195
TOTAL	**112**	**373**	**1096**	**581**	**95**	**17**	**2274**
PERCENTAGE OF ALLOCATION FOR FPS's	**4.92%**	**16.40%**	**48.20%**	**25.55%**	**4.18%**	**0.75%**	**100%**
MAXIMUM INCOME OF FAIR PRICE SHOP @70 Rs. P. QTL.	**3500/-**	**7000/-**	**14000/-**	**21000/-**	**28000/-**	**30000/-**	**MONTHLY INCOME EXLUDING ALL EXPENSES OF FPS**

*ABOVW MENTIONED DATA CONFIRMED FROM THE DEPARTMENTAL WEBSITE- http://nfs.delhi.gov.in/Citizen/FPSWiseAllocation.aspx?type=MA==

ABOVE DETAIL PREPARED BY MR. RAHUL AGGARWAL AND CHECKED BY MR. SHIV KUMAR GARG AS DATA FOUND ON THE WEBSITE OF FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT,GONCT OF DELHI

-: दिल्ली में उचित दर दुकानो के मासिक खर्चो का ब्यौरा :-

A	RENT OF THE SHOP [AVERAGE] The GONCT has recently hiked the circle rates of different localities in Delhi by 20%. [Let the rental value be assessed & fixed/adopted accordingly, the only difference may be that it may be Rs10,000/- in Burari or Nand Nagri area as against Rs25,000/- in G.K or South Extension.---]	15,000/-
B	ELECTRICITY CHARGES OF THE SHOP----- At each FPS power is consumed for electronic weighing scale, exhaust fan, normal fan, tube light plus one bulb inside &one outside & now onwards it may be for the Sales Device/Machine as well--	2,000/-
C	LABOUR CHARGES OF AN UNSKILLED LABOUR AT SHOP FOR FILLING/WEIGHING ETC-----[As per the latest minimum wages revised & fixed in Delhi w.e.f. 01st OCTOBER,2016 by the Labour Department of GONCT for an unskilled labour . [Refer ANNEXURE-No IV for details]	9,724/-
D	STATIONARY CHARGES------- Each shop has to arrange stationary as per norms of the Department for cash memos/sales registers[category-wise]/ration cards register/stocks register/carbons etc	1,000/-
E	BANK DRAFT CHARGES FOR COST OF SFAs	200/-
F	LOSS OF INTEREST ON CAPITAL BLOCKED	500/-
G	METROLOGY EXPENSES ON STAMPING OF WEIGHT/SHORTAGES/DAMAGES/WEIGHMENT CHARGES AT THE TIME OF RECEIPTS OF SFAs etc	150/-
H	EXPENSES ON MAINTENANCE OF BOOKS OF ACCOUNTS/FILING OF INCOME TAX RETURNS etc.	1,000/-
I	VARNER CHARGES/BAKSHISH UNOFFICIALLY DEMANDED/CHARGED BY LABOURERS OF TRANSPORT CONTRACTORS OF DSCSC LTD AT THE TIME OF UNLOADING SFAs IN THE PREMISES OF FPSs@ Rs10/- per quintal	1,000/-
J	HIDDEN CHARGES UNIVERSALLY KNOWN TO DEPARTMENT AT THE TIME OF RENEWAL OF AUTHORISATION etc.	1,000/-
K	UNFORESEEN MISLANEOUS EXPENSES/PETROL/CONVEYANCE/MOBILE PHONE CHARGES,etc	3,000/-

TOTAL EXPENSES APPROXIMATELY [A TO K] **Rs 34,574/- p.m.**

उपरोक्त मासिक खर्चे लगभग 34000/- रुपये दिल्ली की प्रत्येक राशन दुकान को स्वयं वहन करने पड़ते है, हालाँकि यह ग्रामीण और शहरी इलाको में कम या ज्यादा हो सकते है लेकिन किसी भी हालात में 25000/- रुपये प्रति दुकान से कम नह्री हो सकते है.

Page SP 28

कार्यालय पर्यटन, कला, संस्कृति व भाषा,
गुरद्वारा चुनाव एवं जल मंत्री, दिल्ली सरकार
कमरा संख्या – ए–808,
आठवॉ तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002

संख्या : एफ–1/मंत्री के सचिव/2017/ दिनॉक :

सेवा में,

सचिव,
खाद्य व आपूर्ति मंत्री,
दिल्ली सरकार,
'ए' विंग', आठवॉ तल, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. ऐस्टेट,
नई दिल्ली – 110002

विषय : **दिल्ली में 2274 राशन डीलर्स की विभिन्न समस्याओं के निवारण और मार्जिन–मनी बढ़ाने के संबंध में पत्र ।**

महोदय,

माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार मैं आपके पास श्री शिव कुमार गर्ग, अध्यक्ष, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ, शॉप नं. – 2 व 3, डीडीए मार्किट, पॉकेट – सी–4, प्रथम तल, लारेंस रोड, केशव पुरम, दिल्ली – 35 से प्राप्त पत्र जोकि दिल्ली में 2274 राशन डीलर्स की विभिन्न समस्याओं के निवारण और मार्जिन–मनी बढ़ाने के संबंध में है, को मूलरुप में भेज रहा हूँ ।

कृपया इनके प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें ।
धन्यवाद,

भवदीय,

(जी.पी. सिंह)
सचिव,

संख्या : एफ–1/मंत्री के सचिव/2017/1326. दिनॉक : 12/05/17.

प्रेषित :–

26

कार्यालय खाद्य एवं आपूर्ति, पर्यावरण एवं वन,
चुनाव मंत्री दिल्ली सरकार,
आठवॉ तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002

संख्या : खा.प.व.चु/2017/741-42 दिनॉक : 05/04/2017

सेवा में,